



# अमृत मिशन निदेशालय, उत्तर प्रदेश



सेवा में,

- 1— निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 3— डिप्टी टीम लीडर, पी०डी०एम०सी०, ६—राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।
- 4— नगर आयुक्त, नगर निगम, १. लखनऊ, २. अलीगढ़, ३. सहारनपुर, ४. झौंसी, ५. गोरखपुर, ६. मुरादाबाद, ७. आगरा, ८. वाराणसी, ९. कानपुर, १०. फिरोजाबाद, ११. गाजियाबाद, १२. मेरठ, १३. बरेली, १४. इलाहाबाद, १५. मथुरा, १६. आयोध्या।
- 5— अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, १. शिकोहाबाद, २. एटा, ३. हाथरस, ४. कासगंज, ५. मैनपुरी, ६. फतेहपुर, ७. फरुखाबाद, ८. इटावा, ९. रायबरेली, १०. सुल्तानपुर, ११. हरदोई, १२. लखीमपुर, १३. उन्नाव, १४. सीतापुर, १५. देवरिया, १६. मुगलसराय, १७. जौनपुर, १८. गाजीपुर, १९. शाहजहापुर, २०. बदायूँ, २१. पीलीभीत, २२. मुजफ्फरनगर, २३. शामली, २४. मोदीनगर, २५. लोनी, २६. बड़ौत, २७. खुर्जा, २८. बुलन्दशहर, २९. हापुड, ३०. चन्दौसी, ३१. रामपुर, ३२. सम्मल, ३३. अमरोहा, ३४. उरई, ३५. बांदा, ३६. ललितपुर, ३७. मऊनाथभंजन, ३८. आजमगढ़, ३९. बलिया, ४०. बहराइच, ४१. अकबरपुर, ४२. गोण्डा, ४३. मिर्जापुर, ४४. बस्ती।

द्वारा— जिलाधिकारी

पत्रांक: एसएमएमयू/ १७५८ /५१९(१०—सी) / २०१७ लखनऊ::दिनांक ३० अक्टूबर, २०१७

विषय: Waste Water Recycling & Reuse Policy 2017 के प्रारम्भापन के सन्दर्भ में।

महोदय,

अमृत सुधारों के अन्तर्गत Waste Water Recycling & Reuse Policy प्रारम्भापन किया जाना अपेक्षित है। राज्य स्तरीय प्रस्तावित नीति का आलेख (साफ्ट कापी—वर्ड फाईल) इस उद्देश्य से संलग्नकर प्रेषित किया जा रहा है कि प्रस्तावित नीति का भलीभांति अध्ययन और परीक्षण कर लिया जाय और प्रस्तावित नीति में आपके अभिमत के अनुसार प्रस्तावित नीति—२०१७ के आलेख (Draft) में जो संशोधन अपेक्षित हो उन्हें इसी वर्ड फाईल में जोड़ कर/घटाकर संशोधित आलेख दिनांक १०.११.२०१७ तक ई—मेल [smmuup.amrut@gmail.com](mailto:smmuup.amrut@gmail.com) पर मिशन निदेशालय को उपलब्ध करा दिए जाये। इस सन्दर्भ में यदि कोई जिज्ञासा हो तो श्री के० के० अग्रवाल, टीम लीडर—एसएमएमयू, दूरभाष संख्या—२२८८८७४ तथा श्री उदयवीर सिंह राठौर, कैपेसिटी बिल्डिंग एवं अर्बन रिफार्मस स्पेशलिस्ट—एसएमएमयू, मो० ८५७२९८६९९८ पर सम्पर्क किया जा सकता है।

अनुरोध है कि प्राथमिता के आधार पर प्रस्तावित नीति—२०१७ पर अपने अभिमत के अनुसार संलग्न वर्ड फाईल को संशोधित कर (वर्ड फार्मेट में तथा एक पी०डी०एफ० फार्मेट साहित) दिनांक ३०. १०.२०१७ तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: प्रस्तावित नीति।


भवदीय,

(डॉ अनिल कुमार सिंह)  
राज्य मिशन निदेशक (अमृत)

संख्या एवं दिनांकः तदैव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1— प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग अनुभाग-5, उ0प्र0 शोसन को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
- 3— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
- 4— अध्यक्ष, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ।
- 5— समस्त महाप्रबन्धक, जलकल विभाग, नगर निगम, उ0प्र0।
- 6— समस्त अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, उ0प्र0।
- 7— समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उ0प्र0।

  
(डा० अनिल कुमार सिंह)  
राज्य मिशन निदेशक (अमृत)